

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1() पीएस/निकाशि/2019/ 313

दिनांक- 29-9-19

आदेश

कॉलेज शिक्षा विभाग के निम्नलिखित कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में आगामी आदेश तक के लिए कार्यव्यवस्थार्थ लगाया जाता है :-

क. सं.	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	कहां से (राज० महा०)	कहां को (राज० महा०)
1	जगसीर सिंह, (RVRES)	कनिष्ठ सहायक	चिमनपुरा	संगीत संस्थान, जयपुर
2	अविनाश कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	बासकृपाल नगर	लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
3	मंजू देवी	प्रयोगशाला सहायक	आसींद	कन्या सीकर
4	मनोज कुमार यादव	प्रयोगशाला सहायक	पुष्कर	कोटपूतली
5	विक्रम सिंह	प्रयोगशाला सहायक	कन्या करौली	बीबीरानी
6	श्रीराम डूडी	प्रयोगशाला सहायक	कन्या चुरु	कन्या चौमू
7	सुनील कुमार रैगर	प्रयोगशाला सहायक	कन्या सादुलशहर	नोहर
8	किशन सिंह कितावत (RVRES)	च०श्रे० कर्मचारी	खैरवाड़ा	राजसमन्द
9	जगदीश प्रसाद (RVRES)	च०श्रे० कर्मचारी	कला चिमनपुरा	केकड़ी
10	कुलदीप सिंह	कनिष्ठ सहायक	जैसलमेर	कन्या जैसलमेर
11	प्रभुदयाल भाटी	कनिष्ठ सहायक	कोलायत	बीकानेर
12	ख्याली लाल माली	वरिष्ठ सहायक	कन्या खैरवाड़ा	कन्या उदयपुर

4...
(प्रदीप कुमार बोरड़) 29/9
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज० जयपुर की अशा.टीप क्रमांक वि.स./रा.मं./उ.शि. 2019/2050 दिनांक 29.09.2019 के संदर्भ में।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राज० जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों को अविलम्ब कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाकर रिपोर्ट विभाग की ई-मेल आई.डी. Jdadmn.cce@gmail.com पर प्रेषित करावें।
- संबंधित कार्मिक।
- वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- स्थापना शाखा/ RVRES शाखा/रक्षित पत्रावली।

29/9/19
संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।